न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: आशाराम डूडी, आर.ए.एस.)

अपीलार्थी

1. श्री विनोद पुत्र श्री रतनचंद तुलसीयानी, जाति- सिन्धी, निवासी- बी 217, अपनानगर, गांधीधाम, कच्छ (गुजरात)
2. श्री प्रमोद पुत्र श्री बद्रीप्रसाद वर्मा, जाति- दर्जी, निवासी- प्लॉट संख्या 42, वार्ड नंबर 12 गांधीधाम, कच्छ (गुजरात)

बनाम

प्रत्यर्थी

1. श्रीमती हंजा पत्नि उकाजी पुत्र अचलाजी, जाति-माली, निवासी-वराल, तहसील व जिला-सिरोही
2. श्रीमती नवू पत्नि हिराजी पुत्र अचलाजी, जाति- माली, निवासी-वराल, तहसील व जिला-सिरोही
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सिरोही, जिला-सिरोही

राजस्व अपील संख्या: 113/2016

"अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री प्रकाश धवल, अपीलार्थीगण की ओर से
2. अधिवक्ता श्री प्रकाश प्रजापत, प्रत्यर्थी संख्या-1 व 2 की ओर से
3. पेरोकार सरकार (नायब तहसीलदार, सिरोही), प्रत्यर्थी संख्या-3 की ओर से

-: निर्णय :- **दिनांक 26 फरवरी, 2018**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थीगण की ओर से यह अपील तहसीलदार (भू.अ.) सिरोही प्रकरण संख्या 03/2015 में पारित निर्णय दिनांक 09.2.2016 से व्यथित होकर प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सम्मन जारी किये गये एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी संख्या- 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रकाश प्रजापत उपस्थित हुये एवं प्रत्यर्थी संख्या- 3 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये।

(3) उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम उड, पटवार हल्का उड के पुराने खसरा संख्या 355 व नया खसरा संख्या 455 रकबा 21 बीघा 4 बिस्वा खातेदारी भूमि आई है, जिसमें अपीलार्थीगण का 1/2 हक हिस्सा खातेदारी का दर्ज है। उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड अनुसार सर्वप्रथम अचला पुत्र उकाजी माली के नाम 1/2 हक हिस्सा खातेदारी का दर्ज था। उक्त अचलाजी की मृत्यु वर्ष 1992 में होने पर नामान्तरकरण संख्या 479 दिनांक 30.5.1992 के द्वारा उक्त

.....पेज दो पर

1/2 हक हिस्से की भूमि राजस्व रेकर्ड में अचलाजी के पुत्र कालुराम के नाम दर्ज हुई एवं उक्त कालुराम की मृत्यु के बाद उक्त 1/2 हक हिस्से की खातेदारी भूमि नामान्तरकरण संख्या 715/2003 के द्वारा कालुराम की पत्नि रतनी के नाम पर दर्ज हुई। श्रीमती रतनी पत्नि कालुराम ने अपने 1/2 हक हिस्से को दिनांक 21.4.2004 को श्री दौलाराम, गणेशराम, नथाराम, कस्तुरराम को पंजीकृत बक्षीस विलेख के जरिये हस्तान्तरण कर कब्जा सुपर्द कर दिया एवं इस बाबत राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण संख्या 739 दिनांक 19.6.2004 को भरा जाकर इन्द्राज किया गया। उक्त दौलाराम वगैरा ने दिनांक 13.6.1992 को पंजीकृत विक्रय विलेख के जरिये उक्त भूमि में 1/2 हक हिस्से को अपीलार्थीगण को हस्तान्तरण कर दिया गया जिसका नामान्तरकण संख्या 371/2012 भरा जाकर इन्द्राज किया गया। वर्तमान राजस्व रेकर्ड में उक्त 1/2 हक हिस्से की भूमि अपीलार्थीगण के नाम खातेदारी की दर्ज है एवं मौके पर अपीलार्थीगण काबिज है। यह कि उक्त अचलाजी की पुत्री नवु व हंजा ने दिनांक 12.4.2004 से उक्त नामान्तरकरण संख्या 479 दिनांक 30.5.1992 व 715/2003 की जानकारी होना दर्शाते हुए दिनांक 21.4.2004 को उपखण्ड़ अधिकारी (भू अभिलेख अधिकारी) सिरोही के समक्ष एक अपील नामान्तरकरण संख्या 479 दिनांक 30.5.1992 व 715/2003 को खारिज कराने हेतु प्रस्तुत कर उक्त अचलाजी की पुत्री होने के नाते अपना हक हिस्सा जाहिर किया। उक्त अपील प्रकरण में अपीलार्थीगण को पक्षकार नही बनाया गया। उखण्ड़ अधिकारी (भू अभिलेख अधिकारी) सिरोही द्वारा अपील संख्या 2/2004 में दिनांक 17.7.2004 को निर्णय पारित कर नामान्तरकरण संख्या 479/1992 व 715/2003 को खारिज किया गया। जिसके विरुद्ध उक्त अपील की पक्षकार श्रीमती रतनी पत्नि कालुराम ने अति. संभागीय आयुक्त, जोधपुर के न्यायालय में द्वितीय अपील संख्या 98/2004 प्रस्तुत की। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर द्वारा अपील संख्या 98/2004 में दिनांक 23.6.2008 को निर्णय पारित करते हुए प्रकरण उपखण्ड़ अधिकारी (भू अभिलेख अधिकारी) सिरोही को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि श्रीमती रतनी ने उक्त विवादित भूमि को पंजीकृत बक्षीस विलेख के जरिये दिनांक 21.4.2004 को हस्तान्तरण कर कब्जा सुपर्द किया एवं इस बाबत राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण संख्या 739 दिनांक 19.6.2004 भरा जाकर इन्द्राज हो चुका है एवं विवादित भूमि के संबंध में विधिक उत्तराधिकारी के संबंध में पूर्ण एवं समुचित जांच कर निर्णय पारित करे। जिस पर उपखण्ड़ अधिकारी (भू अभिलेख अधिकारी) सिरोही ने दिनांक 31.10.2014 को प्रकरण में निर्णय पारित कर तहसीलदार, सिरोही को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि वे इस प्रकरण में समस्त पक्षकारान तथा गिफट डीड के बक्षीसकर्ता व बक्षीस प्राप्तकर्ता व वर्तमान कब्जे संबंधी पूर्ण जांच कर निष्कर्ष देवे। जिस पर तहसीलदार, सिरोही ने उक्त प्रकरण में प्रथम बार सुनवाई हेतु अपीलार्थीगण को नोटिस जारी किया जिसका अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जवाब प्रस्तुत किया, लेकिन तहसीलदार, सिरोही ने नामान्तरकरण संख्या 479/1992 व 715/2003 खारिज कर उक्त भूमि पैतृक होने से 2/3 हक हिस्सा हंजा व नवू के नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नही किया कि प्रत्यर्थी श्रीमती हंजा व नवू ने स्वर्गीय अचलाजी की पुत्रियां बनकर उक्त

.....पेज तीन पर

कृषि भूमि के नामान्तरकरण संख्या 479/30.5.1992 व 715/05.8.2003 को निरस्त कराने हेतु अपील प्रस्तुत की है जिसका प्रत्यर्थी हंजा व नवू को कोई काननून अधिकार नही है, क्योंकि अचला जी की मृत्यु वर्ष 1992 में हो गई थी जिसके कारण पुश्तैनी सम्पति में उस समय तक पुत्रियों के अधिकार कानूनन नही दिये गये थे। हिन्दू उत्तराधिकारी (संशोधन) अधिनियम 2005 की धारा 6 के अनुसार पुत्रियां को अधिकार वर्ष 2005 व उसके बाद ही प्राप्त होते है। अधीनस्थ न्यायालय ने माननीय उच्चतम न्यायालय के विधिक दृष्टान्त D.N.J.2015 PART 4 S.C. PAGE 1088 को नही मानने का कोई कारण भी अपीलाधीन निर्णय में नही दर्शाया है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी गौर नही किया कि उक्त कृषि भूमि को श्रीमती रतनी द्वारा दोलाराम, गणेशराम, नथाराम, कस्तुराराम को पंजीकृत बक्षीस विलेख दिनांक 21.4.2004 के द्वारा हस्तान्तरण की गई थी एवं अपीलार्थीगण ने उक्त कृषि भूमि उक्त दोलाराम व अन्य से पंजीकृत विक्रय विलेख के क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था, तब से मौके पर अपीलार्थीगण काबिज है तथा राजस्व रेकर्ड में भी उक्त कृषि भूमि अपीलार्थीगण के नाम से खातेदारी की दर्ज है। प्रत्यर्थी संख्या- 1 व 2 द्वारा उक्त पंजीकृत बक्षीस विलेख व पंजीकृत बेचान दस्तावेज को किसी भी सिविल न्यायालय में चुनौती नही दी। अधीनस्थ न्यायालय ने पंजीकृत बक्षीस विलेख व विक्रय विलेख, के दोनों नामान्तरकरण को सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त करवाना आवश्यक माना है, जबकि सिविल न्यायालय को नामान्तरकरण के संबंध में निरस्तीकरण का कोई अधिकार नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या- 1 व 2 का विवादित भूमि में 2/3 हक हिस्सा होना मानने में भूल की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित भूमि को पैतृक सम्पति होना माना है, लेकिन इस तथ्य पर गौर नही किया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के पिता अचलाजी की मृत्यु हिन्दु उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 की धारा 6 लागू होने से पूर्व वर्ष 1992 में हो चुकी है जिससे प्रत्यर्थी संख्या- 1 व 2 के अधिकार विवादित भूमि में कानूनन नही होते है, इसलिये अपीलार्थीगण की अपील को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार (भू.अ.) सिरोही द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.2.2016 को निरस्त किया जावे। जबकि प्रत्यर्थी संख्या- 1 व 2 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि उक्त कृषि भूमि खसरा संख्या 455 (पुराने खसरा संख्या 355) रकबा 21 बीघा 04 बिस्वा कृषि भूमि में अचलाजी पुत्र उकाजी माली का 1/2 हक हिस्सा खातेदारी का दर्ज था एवं अचलाजी की मृत्यु के बाद उक्त 1/2 हक हिस्सा नामान्तरकरण संख्या 479 दिनांक 30.5.1992 के द्वारा कालुराम पुत्र अचलाजी के नाम दर्ज हुआ तथा कालुराम पुत्र अचलाजी माली की मृत्यु के बाद उक्त वर्णित हक हिस्से की भूमि नामान्तरकरण संख्या 715 दिनांक 05.8.2003 के द्वारा रतनी पत्नि कालुराम के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई। जिसकी जानकारी होने के अन्दर मियाद प्रत्यर्थी संख्या- 1 व 2 द्वारा उक्त दोनों नामान्तरकरणों को निरस्त कराने हेतु उपखण्ड अधिकारी (भू अभिलेख अधिकारी) सिरोही के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई। उक्त अपील संख्या 02/2004 में उपखण्ड अधिकारी (भू अभिलेख अधिकारी) सिरोही द्वारा दिनांक 17.7.2004 को निर्णय पारित कर नामान्तरकरण संख्या 479 व 715 को खारिज कर प्रकरण तहसीलदार, सिरोही को विधिक वारिसान के संबंध में जांच कर

.....पेज चार पर

जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

विधि अनुसार कार्यवाही करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया। जिसके विरुद्ध श्रीमती रतनी द्वारा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर के न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत की। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर द्वारा अपील संख्या 98/2004 में पारित निर्णय दिनांक 23.6.2008 के द्वारा अपील आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण उपखण्ड् अधिकारी (भू अभिलेख अधिकारी) सिरोही को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि श्रीमती रतनी ने उक्त विवादित भूमि को पंजीकृत बक्षीस विलेख के जरिये दिनांक 21.4.2004 को हस्तान्तरण कर कब्जा सुपर्द किया एवं इस बाबत नामान्तरकरण संख्या 739 भी हो चुका है, इसलिये बक्षीसकर्ता एवं बक्षीस प्राप्तकर्ता को सुनवाई का अवसर देते हुए एवं विवादित भूमि तथा विधिक उत्तराधिकारी के संबंध में पूर्ण एवं समुचित जांच कर निर्णय पारित करे। जिस पर उपखण्ड् अधिकारी (भू अभिलेख अधिकारी) सिरोही ने दिनांक 31.10.2014 को प्रकरण में पुन: निर्णय पारित कर तहसीलदार, सिरोही को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि वे इस प्रकरण में समस्त पक्षकारान तथा गिफट डीड के बक्षीसकर्ता व बक्षीस प्राप्तकर्ता व वर्तमान कब्जे संबंधी पूर्ण जांच कर निष्कर्ष देवे। प्रकरण में तहसीलदार, सिरोही द्वारा विवादित भूमि के मौके एवं उत्तराधिकारियों के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त कर पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जो विधि सम्मत है। विवादित भूमि स्वर्गीय अचलाजी पुत्र उकाजी माली के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि थी एवं प्रत्यर्थी संख्या-1 व 2 अचलाजी की पुत्रियां है, इस कारण से अचलाजी की मृत्यु के बाद उक्त विवादित भूमि का नामान्तरकण प्रत्यर्थी संख्या- 1 व 2 तथा कालुराम पुत्र अचलाजी के पक्ष में दायर किया जाना चाहिये था, लेकिन उत्तराधिकार का नामान्तरकरण अकेले कालुराम पुत्र अचलाजी माली के पक्ष में ही दायर होकर स्वीकृत हुआ, जो कानूनन गलत है। कालुराम पुत्र अचलाजी की मृत्यु के बाद उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में श्रीमती रतनी पत्नि कालुराम के नाम दर्ज हुई तथा श्रीमती रतनी द्वारा उत्तराधिकार में प्राप्त पैतृक भूमि गिफ्टडीड के द्वारा श्री दौलाराम व अन्य को दिनांक 21.4.2004 को हस्तान्तरित कर दी, जबकि विवादित भूमि श्रीमती रतनी की स्वअर्जित भूमि नही थी। ऐसी स्थिति में, अधीनस्थ न्याायलय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत होने से अपीलार्थीगण की अपील को खारिज किया जावे। विद्वान पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सिरोही द्वारा पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए बाद जांच विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है।

(3) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि ग्राम उड, पटवार हल्का उड, तहसील- सिरोही में स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 355 (नये खसरा संख्या 455) रकबा 21 बीघा 4 बिस्वा भूमि में श्री अचलाजी पुत्र उकाजी माली के दर्ज 1/2 हक हिस्से की खातेदारी भूमि के संबंध में उक्त श्री अचलाजी पुत्र उकाजी की मृत्यु के पश्चात् श्री कालुराम पुत्र अचलाजी माली के पक्ष में उत्तराधिकार का नामान्तरकरण संख्या 479 दिनांक 30.5.1992 को स्वीकृत हुआ एवं उक्त श्री कालुराम पुत्र अचलाजी माली की मृत्यु के पश्चात् उक्त हक हिस्से की कृषि भूमि के

....पेज पोंच पर

संबंध में श्रीमती रतनी पत्नि कालुराम माली के पक्ष में उत्तराधिकार का नामान्तरकरण संख्या 715 दायर हुआ जिसे ग्राम पंचायत, उड द्वारा दिनांक 05.8.2003 को स्वीकृत किया गया। उक्त दोनों नामान्तरकरण संख्या 479 दिनांक 30.5.1992 एवं 715 दिनांक 05.8.2003 को निरस्त कराने हेतु प्रत्यर्थी संख्या- 1 व 2 क्रमश: श्रीमती हंजा पत्नि उकाजी पुत्री अचलाजी माली एवं श्रीमती नवु पत्नि हीराजी पुत्री अचलाजी माली ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अर्न्तगत भू अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) सिरोही के न्यायालय में ग्राम पंचायत, उड एवं श्रीमती रतनी पत्नि कालुराम माली के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई है, जो भू अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) सिरोही के न्यायालय में अपील संख्या 2/2004 पर दर्ज रजिस्टर हुई। भू अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) सिरोही द्वारा उक्त अपील संख्या 2/2004 में पारित निर्णय दिनांक 17.7.2004 के अनुसार उक्त अपील स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 479 दिनांक 30.5.1992 एवं 715 दिनांक 05.8.2003 को खारिज किया जाकर प्रकरण तहसीलदार, सिरोही को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि वे अपने स्तर पर वर्णित आराजी के विधिक वारिसानों की पूर्ण एवं भलीभांति जांच कर बाद सुनवाई विधि अनुसार अग्रिम कार्यवाही करे।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि भू अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) सिरोही द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 17.7.2004 के विरुद्ध श्रीमती रतनी पत्नि कालुराम माली द्वारा माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर में द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई। माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर द्वारा अपील/सिरोही/98/2004 में पारित निर्णय दिनांक 23.6.2008 के अनुसार अपील आंशिक रुप से स्वीकार की जाकर विवादित आराजी के संबंध पूर्ण एवं समुचित जांच करने के साथ ही निम्नलिखित बिन्दुओं के संबंध में पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देते हुए नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करते हुए पुन: निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण भू अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) सिरोही को प्रतिप्रेषित किया गया:-

1. क्या श्रीमी रतनी ने वादग्रस्त भूमि पंजीबद्ध गिफ्टडीड के जरिये विधिवत वरिया माता महोदव मंदिर जरिये प्रबंधकर्ता दौलाराम, गणेशराम, नत्थाराम व कस्तुरराम को दिनांक 21.4.2004 को हस्तान्तरित कर कब्जा सुपर्द कर दिया है? और इस बाबत नामान्तरकरण संख्या 739 दिनांक 19.6.2004 भरा जाकर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राजात भी किये जा चुके है? यदि हां तो इस तथ्य का आलोच्य मामलें क्या विधिक प्रभाव पड़ता है।
2. क्या उक्त बिन्दु के परिप्रेक्ष्य में वरियामाता महादेव मंदिर इस मामले में आवश्यक पक्षकार है?
3. क्या कालुराम पुत्र अचलाजी के देहान्त के बाद उसकी पत्नि श्रीमती रतनी ने नाता (पुनर्विवाह) कर लिया है, यदि हां तो कब और इस तथ्य का आलोच्य मामलें क्या विधिक प्रभाव पड़ता है?

माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर के उक्त निर्णय दिनांक 23.6.2008 की पालना में भू अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) सिरोही के

....पेज छ: पर

न्यायालय में पुन: प्रकरण दर्ज किया जाकर बाद सुनवाई पक्षकार भू अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) सिरोही द्वारा अपील संख्या 2/2004 में पारित निर्णय दिनांक 31.10.2014 के अनुसार अपील इस शर्त पर स्वीकार करते हुये प्रकरण तहसीलदार, सिरोही को प्रतिप्रेषित किया गया कि वे इस अपील के पक्षकारान तथा गिफट डीड दिनांक 21.4.2004 के बक्षीसकर्ता तथा बक्षीस प्राप्तकर्ता को पक्षकार बनाकर तथा वर्तमान कब्जे संबंधी भी पूर्ण जांच कर उक्त सभी पक्षकारान को सुनवाई के दौरान साक्ष्य सबूत पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर देकर विवेचन करते हुए पारित निर्णय में अपने निष्कर्ष देवे तथा अपने स्तर पर वर्णित आराजी के विधिक वारिसानों की पूर्ण एवं भलीभांति जांच कर बाद सुनवाई विधि अनुसार अग्रिम कार्यवाही करे।

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सिरोही की पत्रावली अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी संख्या- 1 व 2 क्रमश: श्रीमती हंजा एवं श्रीमती नवु ने भू अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) सिरोही द्वारा उक्त अपील संख्या 2/2004 में पारित निर्णय दिनांक 31.10.2004 की पालना हेतु तहसीलदार, सिरोही को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सिरोही में प्रकरण संख्या 03/2015 दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रकरण में हल्का पटवारी, उड एवं भू अभिलेख निरीक्षक, जावाल से विवादित भूमि के संबंध में जांच रिपोर्ट की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध हल्का पटवारी, उड एवं भू अभिलेख निरीक्षक, जावाल की मौका फर्द दिनांक 01.12.2015 में उक्त वर्णित भूमि में खातेदार प्रमोद पुत्र बद्रीप्रसाद वर्मा, जाति-दर्जी, निवासी- प्लॉट सं.42, वार्ड 12 गांधीधाम, कच्छ (गुजरात) व विनोद पुत्र रतनचन्द तुलसोयान सिन्धी, निवासी- बी 217, अपनानगर, गांधीधाम, कच्छ (गुजरात) का 1/2 हक हिस्सा रेकर्ड में दर्ज होना बताया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन दोनों पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा बाद सुनवाई पक्षकारान तहसीलदार, सिरोही द्वारा प्रकरण में दिनांक 09.2.2016 को निर्णय पारित किया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सिरोही द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.2.2016 में यह स्पष्ट रुप से अंकित किया है कि मृतक अचलाजी की मृत्यु पर पुत्र कालुराम के नाम उत्तराधिकार का नामान्तरकरण दायर किया गया है, जो नियम विरुद्ध है। कालुराम के साथ साथ दोनों बहन नवु व हंजा के नाम भी दर्ज होने चाहिये थे। कालुराम की मृत्यु पर उसकी पत्नि रतनी को वर्णित भूमि उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है, जो स्व अर्जित भूमि नहीं है। तहसीलदार, सिरोही द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.2.2016 में यह भी अंकित किया गया है कि रतनी द्वारा भूमि गिफ्टडीड (बक्षीस) करना भी नियम विरुद्ध है, इसके पश्चात् भूमि का बेचान वर्तमान पक्षकार प्रमोद व विनोद के नाम हो चुका है, जिससे गिफ्टडीड व बेचान के दोनों नामान्तरकरण सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त करवाना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सिरोही द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.2.2016 में यह भी स्पष्ट रुप से अंकित किया है कि वर्णित भूमि पैतृक सम्पति होने से 2/3 हिस्सा नवु व हंजा के नाम दर्ज करने का निर्णय पारित किया जाता है। तहसीलदार, सिरोही द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 09.2.2016 में पटवारी हल्का उड को यह आदेश दिये गये है कि गिफ्टडीड व बेचान के दोनों

.....पेज सात पर

नामान्तरकरण संख्या 739 व 371 सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त होने के पश्चात वर्णित भूमि में स्वर्गीय अचलाजी के हिस्से में से दो तिहाई हिस्से में नवु व हंजा के नाम दर्ज किये जावे।

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि उक्त पंजीकृत गिफ्टडीड व पंजीकृत बेचान दस्तावेज को सक्षम सिविल न्यायालय से जब तक निरस्त नही करवाया जाता है, तब तक तहसीलदार, सिरोही द्वारा पारित निर्णय की क्रियान्विति एवं पालना होना संभव नही है। ऐसी स्थिति में, उपर्युक्त विवेचन के अनुसार अपीलार्थीगण की अपील संधारणीय नही होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपीलार्थीगण की अपील को खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

26.02.18

(आशाराम डूडी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही